

न्यायालय :- द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, बालाघाट (म.प्र.)
शृंखला न्यायालय बैहर
(पीठासीन अधिकारी-माखनलाल झोड़)

Case No. C.R.A./32/2017

Filling No. CRA/1247/2017

CNR-MP50050017412017

संस्थित दिनांक -04.03.2015

प्यारेलाल आयु लगभग 40 वर्ष, पिता डोंगरसिंह, जाति गोंड,
निवासी ग्राम पोण्डी थाना गढ़ी तहसील बैहर
जिला बालाघाट - - - - अपीलार्थी

// विरुद्ध //

म0प्र0 राज्य वन परिक्षेत्र अधिकारी सुपखार,
कान्हा नेशनल पार्क जिला बालाघाट - - - - उत्तरवादी

=====

{न्यायालय:- श्री सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैहर द्वारा
आप.प्रक.क्रमांक 827/2003 शासन विरुद्ध प्यारेलाल+2 निर्णय दिनांक
11.02.2015 से परिवेदित होकर यह दाण्डिक अपील अंतर्गत धारा 374 द.
प्र.सं. के तहत प्रस्तुत की है}

=====

श्री राजकुमार सोनकुसरे अधिवक्ता वास्ते अपीलार्थी-प्यारेलाल।
श्री अभिजीत बापट, अतिरिक्त लोक अभियोजक वास्ते उत्तरवादी/राज्य।

=====

- / / / निर्णय / / / -

(आज दिनांक **04 सितम्बर 2017** को घोषित)

1. अपीलार्थी ने यह अपील न्यायालय श्री सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बालाघाट द्वारा आपराधिक प्रकरण क्रमांक 827/2003 म0प्र0 राज्य विरुद्ध प्यारेलाल+2 पारित निर्णय एवं दण्डाज्ञा दिनांक 11.02.2015 से परिवेदित होकर पेश की है।

2. प्रस्तुत परिवाद का सार यह है कि दिनांक 18.01.1998 को आरोपी प्यारेलाल ने वनरक्षक गुलामसिंह धुर्वे के साथ कान्हा जंगल कक्ष क्रमांक-188, सेहरा मैदान में जाकर अलग-अलग स्थानों पर छापर में वन्य प्राणी मारने की जहरीली गोलियां रखना बताया था। छापर नम्बर 1 में, छापर नम्बर 2 एवं छापर नम्बर 3 में 01-01 गोली कुल 3 गोलियां बताने पर वनरक्षक गुलामसिंह धुर्वे ने सभी पंचों के सामने 3 गोलियां, 1 बक्कल, 1 कुल्हाड़ी दिनांक 18.01.1998 को सुबह 07.30 बजे जप्त की और पंचनामा बनाया। निर्धारित प्रपत्र में जप्तीनामा तैयार कर जप्ती कार्यवाही की गई। कक्ष नम्बर-188 का ट्रेस नक्शा तैयार कर संलग्न किया गया। पी.ओ.आर. नम्बर-1657/06 दिनांक 18.01.1998 को काटा गया, प्यारेलाल को गिरफ्तार किया गया, साक्षीगण के कथन लेख किये गये, जप्ती संपत्ति में से तीनों गोलियां सीलबंद कर दिनांक 16.03.1998 को कन्सर्वेटर/फील्ड डायरेक्टर कान्हा टाईगर रिजर्व मण्डल कार्यालय के माध्यम से संचालक राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला सिविल लाईन्स सागर को भेजा गया। परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर संलग्न की गई, परिवाद तैयार कर पेश किया गया।

3. प्रस्तुत अपील का सार यह है कि विचारण न्यायालय ने विधिक मंशाओं के विपरीत है तथा संभावनाओं के आधार पर घटनास्थल वनकक्ष क्रमांक 188 सेहरा मैदान, सूपखार कान्हा नेशनल पार्क में आता है बाबत प्रलेखीय साक्ष्य नहीं है। तथाकथित जहरीली गोली खुले स्थान से जप्त किये जाने के उपरांत अपीलार्थी के विरुद्ध गलत अभिधारणा कर दंडित कर विधिक त्रुटि की है, प्राप्त संपत्ति 3 गोलियां मौके पर सीलबंद की गई थी। एफ.एस.एल. सागर भेजने के बाद रास्ते में छेड़-छाड़ नहीं की गई की साक्ष्य नहीं है। अपीलार्थी वनग्राम अजानपुर का जो कि कान्हा नेशनल पार्क सूपखार परिक्षेत्र के अंतर्गत आता है उसे सामान्य विचरण करने का अधिकार है फिर भी

अपीलार्थी को दंडित कर त्रुटि की है, साक्षीगणों की अभिलेख पर अपीलार्थी साक्ष्य का गलत मूल्यांकन कर त्रुटि की है। अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं दण्डाज्ञा अपास्त किये जाने की याचना की है।

अपील के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न यह हैं कि:-

1. क्या दिनांक 18.01.1998 को अपीलार्थी/अभियुक्त प्यारेलाल ने कक्ष नम्बर-188 वन परिक्षेत्र का सूपखार सेहरा मैदान में प्रवेश कर धारा-27 वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 का उल्लंघन किया है ?
2. क्या उक्त दिनांक व समय पर अपीलार्थी के द्वारा वनरक्षक गुलाब सिंह धुर्वे को बिषैली गोलियां रखे होने की जानकारी दिये जाने पर उक्त मैदान के कक्ष क्रमांक 1, 2, 3 से 3 गोलियां जप्त हुईं वे बिषैली होकर वन्य प्राणी की हत्या किये जाने हेतु पर्याप्त थी ?

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 का साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष:-

4. मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 7 साक्षियों का परीक्षण कराया है जिनमें साधूलाल परिवारी साक्षी क्रमांक-1, वनरक्षक धीरज परिवारी साक्षी क्रमांक-2, इन्दल परिवारी साक्षी क्रमांक-3, ए.जी.खान परिवारी साक्षी क्रमांक-4, एस.एन.कोरचे परिवारी साक्षी क्रमांक-5, गुलाबसिंह परिवारी साक्षी क्रमांक-6 और दीपक परिवारी साक्षी क्रमांक-7 के कथन किये गये। सभी साक्षियों ने वादप्रश्न क्रमांक-1 के संबंध में साक्ष्य दी है कि दिनांक-18.01.1998 को सेहरा मैदान सूपखार परिक्षेत्र कान्हा नेशनल पार्क के कक्ष क्रमांक-188 में तीन व्यक्ति गस्ती के समय सुबह 07.00 बजे करीब दिखे, गस्तीदल को देखकर वे लोग भागने लगे, दो लोग भागने में सफल हो गये एक को पकड़ा गया जिसने अपना नाम प्यारेलाल बताया था।

5. प्रतिपरीक्षण में साधूलाल परिवारी साक्षी क्रमांक-1 ने पद क्रमांक-6 में यह स्वीकार किया है कि सेहरा मैदान खुली मैदानी जगह है। यह

भी स्वीकार किया है कि कान्हा नेशनल पार्क के अन्दर वनग्राम पूर्व से बसे हैं, जहां लोग निवास करते हैं। यह भी स्वीकार किया कि अजानपुर भी भैसान घाट परिक्षेत्र के अंतर्गत वनग्राम हैं। इसी प्रकार धीरज परिवादी साक्षी क्रमांक-2 ने प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक-6 में यह स्वीकार किया कि जहां पर वे गये थे वहां सेहरा मैदान से लगा हुआ रोड़ है। इन्दल परिवादी साक्षी क्रमांक-3 ने साक्ष्य दी है कि जो दो लोग भागे थे उनका पीछा करते हुए वनग्राम अजानपुर तक पहुंचे थे, आरोपी प्यारेलाल भी अजानपुर का ही रहने वाला है। प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक-4 में साक्षी ने स्वीकार किया है कि चकरवाह सेहरा मैदान होते हुए अजानपुर सुकड़ी के लिए रोड़ है। यह स्वीकार किया कि उक्त स्थान से साईकल-मोटरसाईकल पैदल गांव वालों का आना-जाना होता है, सेहरा मैदान खुला भाग है। ए.जी.खान प्रतिवादी साक्षी क्रमांक-4 और एन.एस. कोरचे प्रतिवादी साक्षी क्रमांक-5 मौके के साक्षी नहीं है। गुलाबसिंह (अ.सा.6) की साक्ष्य में अजानपुर बस्ती वनग्राम के संबंध में साक्षी नहीं है।

6. दीपक प्रतिवादी साक्षी क्रमांक-7 ने मुख्य कथन के पद क्रमांक-1 के अंत में कथन किया कि आरोपी ने अपना निवास अजानपुर बताया था। पद क्रमांक-4 में इस साक्षी ने कथन किया कि गस्ती के दौरान साक्षी व अन्य ने तीनों व्यक्तियों को नेशनल पार्क के क्षेत्र में घूमते हुए देखा था। प्रतिवादी के पद क्रमांक-5 में साक्षी ने स्वीकार किया है कि ग्राम अजानपुर वनग्राम है जो कान्हा नेशनल पार्क के अंतर्गत आता है। यह भी स्वीकार किया है कि सेहरा मैदान लगा हुआ है, लोगों के आने-जाने के लिए रोड़ है। पद क्रमांक-6 में स्वीकार किया है कि आरोपीगण सेहरा मैदान के किनारे रोड़ की ओर से जाते मिले थे। पद क्रमांक-8 में अस्वीकार किया है कि आरोपीगण सहारा मैदान में नहीं पकड़े गये थे। इस प्रकार प्रतिवादी पक्ष से सभी साक्षियों

ने जो विश्वसनीय साक्ष्य दी है के अनुसार सहरा मैदान, भैसान घाट परिक्षेत्र के अंतर्गत होकर मैदान भाग है और वहां से वनग्राम के लोगों के आने-जाने के लिए मार्ग है। इस साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि वनग्राम के निवासियों को सहरा मैदान परिक्षेत्र, भैसान घाट में दैनिक रूप से आने-जाने के लिए पृथक से अनुमति की आवश्यकता नहीं है इसलिए धारा-27 वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के अधीन अपराध होना विधि अनुसार प्रमाणित नहीं पाया जाता है।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 2 का साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष:-

7. विचारणीय प्रश्न क्रमांक 2 के संबंध में पारित साक्षी क्रमांक 1 लगायत 7 के कथनों को प्रतिपरीक्षण में आये साक्ष्य का अध्ययन किया गया। अपीलार्थी की ओर से मुख्य तर्क यह है कि घटनास्थल कक्ष क्रमांक-128 का भाग है या नहीं के संबंध में नक्शा प्रति पेश नहीं है, किन्तु अभिलेख पर प्र.पी. 02 की ट्रेस नक्शाप्रति पेश है जिसमें .1, .2, .3 विषैली गोली रखे जाने के स्थानों को स्पष्ट दर्शाया गया है इसलिए उक्त तर्क मान्य किये जाने के योग्य नहीं है।

8. अपीलार्थी की ओर से यह भी तर्क किया गया कि जप्तीपत्रक प्र. पी.02 द्वारा दिनांक 03.02.2000 का अभिलेख पर है और साक्षी से प्रमाणित है में अपीलार्थी प्यारेलाल का निशानी अंगूठा अंकित है वह मौके पर ही पकड़ा गया था, मौके पर ही उसके कथन के आधार पर विषैले पदार्थ की जप्ती होने से जिसका खण्डन नहीं है।

9. अपीलार्थी की ओर से यह तर्क है कि प्र.पी. 2 के सीजर मेमो द्वारा जप्त गोलियां सागर भेजी गई थी की प्रमाण पेश नहीं है और भेजा जाना मान भी लिया जावे तो डायरेक्टर कान्हा रिजर्व टाईगर प्रोजेक्ट

मण्डला के कार्यालय से सागर एफ.एस.एल की पावती लाने के बीच ले गये पदार्थ को सही सलामत ले गया था अथवा उससे छेड़खानी नहीं की थी इसलिए वही गोलियां जो प्र.पी. 2 से जप्त हुई थी का ही एफ.एस.एल सागर में परीक्षण होने से इस साक्ष्य का अभाव है किये गये तर्क को विचार करते हुए अभिलेख का अध्ययन किया गया। इस संबंध में प्र.पी. 8 का प्रपत्र क्रमांक-69 दिनांक 15.02.1998 अभिलेख पर है जो परिक्षेत्र अधिकारी सूपखार द्वारा पी.ओ. आर. नम्बर- 1657/6 दिनांक 18.01.1998 में जप्तशुदा संपत्ति रासायनिक प्रयोगशाला सागर भेजी जाने हेतु लेख है इस संबंध में प्र.पी.11 का भाग टी/941/98 दिनांक 04.05.1998 निर्देशक राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला सागर का कन्सरवेशन एवं फील्ड डायरेक्टर कान्हा टाईगर रिजर्व मण्डला, म0प्र0 के नाम उल्लेख पत्रानुसार आपके पत्र क्रमांक सी0नी0 861/98 मण्डला दिनांक 16.03.1998 परिक्षेत्र सूपखार का उल्लेख प्रेषित किया गया है साथ में यह भी लेख है कि परीक्षण रिपोर्ट संलग्न है।

10. प्र.पी.11 की परीक्षण रिपोर्ट जिस पर क्रमांक/एफ.एस.एल /टी/941/98 का उल्लेख है इसमें पैकेट में पाये गये पदार्थों का विवरण उल्लेख है। तीनों का परीक्षण किये जाने के पश्चात् प्रदर्श ए-1, ए-2, ए-3 में पोटेशियम साईनाईड होना लेख है जो अतितीव्र प्रभावकारी विष है। इस प्रकार प्र.पी.02 के जप्तीपत्रक द्वारा जप्त की गई तीनों गोलियां कक्ष क्रमांक-188 वनपरिक्षेत्र कैसनघाट सूखा सेहरा मैदान से जप्त होना अपीलार्थी की निशानदेही पर परिवादी पक्ष ने साबित किया है और उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने धारा-32 वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के अधीन दोषी पाया है। इस निष्कर्ष में तथ्य की त्रुटि, विधि की त्रुटि अथवा साक्ष्य के मूल्यांकन में त्रुटि होना नहीं पाया जाता है इसलिए इस सीमा तथा विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नाधीन निर्णय दिनांक 11.02.2015 में

हस्तक्षेप किये जाने के योग्य नहीं है। परिणामतः प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से धारा-27 वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की सीमा तक स्वीकार कर धारा-27 के अधीन पारित दंडादेश अपास्त किया जाता है तथा धारा-32 वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के अधीन निष्कर्षित दोषसिद्धि की पुष्टि की जाती है इसलिए धारा-51 के अधीन पारित दोषसिद्धि और दण्ड की पुष्टि की जाती है।

11. अपीलार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क किया गया है कि मामले से संबंधित अपराध 1998 का है। दिनांक समय के अनुसार 19 साल से अधिक का समय बीत चुका है इसलिए अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के बराबर कारावासीय दण्ड दिया जाकर अपीलार्थी की आर्थिक स्थिति कमजोर है, निर्धन है, को देखकर मुनासिब अर्थदण्ड अधिरोपित किया जावे।

12. दण्ड के प्रश्न पर किए गए तर्कों को विचार किया गया।

13. धारा 51 वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 का अध्ययन किया गया। इस धारा की उपधारा 5 में धारा 360 द.पं.स. के अधीन दी जाने वाली छूट को निषेधित किया गया है। उपधारा 2, 3, 4 इस मामले के अभियुक्त से संबंधित नहीं है। धारा 51 उपधारा 1-ए लगायत 1-डी तक की विधिक परिस्थितियां इस मामले में विचार में लिए जाने योग्य नहीं है। इस प्रकार धारा 51 (1) वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधान में कारावासी दण्ड 3 वर्ष तक का अधिकतम होगा या अर्थदण्ड जो 25,000/-रुपए तक का हो सकेगा अथवा दोनों से दण्डनीय होगा लेख है। न्यूनतम के संबंध में धारा 51 उपधारा 1 वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 में सीमा नहीं है, को विचार में लिया गया।

14. अतः अभियुक्त/अपीलार्थी द्वारा सजा वारंट के अनुसार भोगी गई कारावासी अवधि 01 माह 19 दिवस है तथा 2,000/-रुपया अर्थदण्ड

अधिरोपित किया गया है। अर्थदण्ड की राशि अपीलार्थी ने विचारण न्यायालय के समक्ष रसीद क्रमांक 832/03 दिनांक 11.02.2015 को अदा कर दी है। संपूर्ण स्थितियों को विचार में लेने के पश्चात् अपीलार्थी द्वारा अभिरक्षा में बिताई गई अवधि 01 माह 19 दिन के बराबर कारावासी दण्ड से दंडित किया जाता है तथा अर्थदण्ड की राशि 5,000/—रुपए अधिरोपित की जाती है। अभियुक्त पूर्व में 2,000/—(दो हजार) रुपए अर्थदण्ड जमा कर चुका है। अतः 3,000/—रुपए (तीन हजार) रुपए अर्थदण्ड की राशि जमा कराई जावे। अर्थदण्ड की राशि जमा न करने पर 03 माह का अतिरिक्त कारावास भुगताया जावे।

15. इस प्रकार अपीलार्थी की ओर से पेश अपील आंशिक रूप से केवल दण्ड के प्रश्न की सीमा तक उक्तानुसार स्वीकार की जाती है।

16. निर्णय की एक प्रति मूल अभिलेख के साथ संलग्न कर परिणाम पंजी में दर्ज करने हेतु विचारण न्यायालय की ओर भेजी जावे।

निर्णय हस्ताक्षरित व दिनांकित कर
खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन में टंकित
किया गया।

सही /—

(माखनलाल झोड़)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, बालाघाट
श्रृंखला न्यायालय बैहर

सही /—

(माखनलाल झोड़)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, बालाघाट
श्रृंखला न्यायालय बैहर

प्रतिलिपि:—न्यायालय—श्री दिलीप सिंह, न्या.मजि.प्र.श्रे. बैहर की ओर मूल
अभिलेख संलग्न कर नतीजा दर्ज करने एक प्रति सूचनार्थ।

(माखनलाल झोड़)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, बालाघाट
श्रृंखला न्यायालय बैहर